IV ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन भारतीय रिज़र्व बैंक का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अब तक वंचित लोगों को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं की परिधि के अंतर्गत लाना है। सार्वभौमिक वित्तीय सामेवेशन के लिए रिज़र्व बैंक ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें बैंकों को उनकी वित्तीय समावेशन योजना बनाने के संबंध में सलाह देना और वित्तीय समावेशन परामर्शदात्री समिति (एफआईएसी) गठित करना शामिल है। समिति (अध्यक्ष: डॉ. के.सी. चक्रबर्ती) बैंकों को व्यवहार्य और सुस्थिर बैंकिंग सेवा मॉडल विकसित करने में मदद करती है जिसका लक्ष्य सुग्राह्य एवं सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। वित्तीय रूप से अनभिज्ञ लोगों की ग्रहणशीलता को बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों के सहयोग से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऋण वितरण के लिए विभिन्न चैनल स्थापित करने से वंचित लोगों को संस्थागत ऋण के एक्सेस में आसानी हो सकती है और इस प्रकार विकास की प्रक्रिया के दायरे में गरीब लोगों को लाने में मदद मिल सकती है।

IV.1 रिज़र्व बैंक ने ऋण वितरण प्रक्रिया एवं वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के दिशानिर्देशों में परिवर्तन करने तथा वंचित ग्रामीण एवं शहरी लोगों को संस्थागत वित्त के दायरे में लाने की कोशिश करने का कदम उठाया है। अब यह एक सुस्थापित तथ्य है कि सस्ती लागत पर औपचारिक वित्त के बिना समावेशी वृद्धि संभव नहीं है। रिज़र्व बैंक ने रोजगार निर्माण की क्षमता रखने वाले उत्पादक क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए 1970 के दशक से चले आ रहे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के दिशानिर्देशों में संशोधन करने के साथ-साथ कई उपाय किए हैं। इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने के अलावा, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से ऋण प्रदान करने की योजना अपनाई है जो इस प्रकार है: स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) एवं माइक्रो-वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को शामिल करना, बिजनेस कॉरेस्पांडेन्स (बीसी) मॉडल के दायरे को बढ़ाना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सरल करना तथा व्यापक आउटरीच एवं निम्नतर अंतरण लागत हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सोल्यूशन अपनाया जाना।

IV.2 इस अध्याय में ऋण वितरण के दो पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, नामत: (i) ऋण वितरण एवं वित्तीय समावेशन की प्रगति और (ii) इन क्षेत्रों में रिज़र्व बैंक की नीति संबंधी पहल। ऋण वितरण की चर्चा तीन शीर्षकों में की गई है: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, लीड बैंक स्कीम और ग्रामीण सहकारी ऋण बैंक।

ऋण वितरण

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

IV.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई), शिक्षा और आवास क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2013 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत देशी बैंकों के लिए गत वर्ष के 31 मार्च को यथास्थिति समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र (ओबीई) के ऋण समतुल्य का, जो भी अधिक हो, 40 प्रतिशत और विदेशी बैंकों के लिए 32 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार देशी बैंक (सरकारी एवं निजी दोनों) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लक्ष्य से नीचे रहे (सारणी IV.1)। इस अवधि में,

सारणी IV.1: प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण

(राशि ₹ बिलियन में)

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4
2012	11,299.93	2,864.19	805.59
	(37.4)	(39.4)	(40.9)
2013*	12,822.12	3,274.06	848.54
	(36.2)	(37.5)	(35.1)

* 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित समूहों में एएनबीसी या ओबीई के ऋण समतुल्य, जो भी अधिक हो, का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. वर्ष 2013 का डेटा अनंतिम है।

सरकारी क्षेत्र के 26 बैंकों में से 16, निजी क्षेत्र के 20 बैंकों में से 10 और 41 विदेशी बैंकों में से 2 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के कुल लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके।

IV.4 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहे अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, देशी और विदेशी दोनों, को भारत सरकार द्वारा घोषित कोष की हद तक कमी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ स्थापित ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (आरआईडीएफ) में और लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एवं राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के साथ स्थापित अन्य कोष में जमा करना होगा।

IV.5 2013-14 के दौरान, ₹200 बिलियन की राशि युक्त आरआईडीएफ XIX को नाबार्ड के साथ स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त, 2013-14 के दौरान ₹100 बिलियन की राशि युक्त एमएसएमई (पुनर्वित्त) कोष को सिडबी के साथ, ₹50 बिलियन की राशि युक्त मालगोदाम आधारभूत संरचना कोष, ₹300 बिलियन की राशि युक्त अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसीआरसी) (पुनर्वित्त) और ₹200 बिलियन की राशि युक्त अल्पावधि आरआरबी ऋण पुनर्वित्त कोष को नाबार्ड के साथ तथा ₹60 बिलियन की राशि युक्त ग्रामीण आवास कोष को एनएचबी के साथ स्थापित किया गया। एक और कोष नामत: ₹20 बिलियन की राशि युक्त शहरी आवास कोष को एनएचबी के साथ इस वर्ष स्थापित किया गया।

कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह

IV.6 सरकार द्वारा 2012-13 में कृषि ऋण हेतु ₹5,750 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस लक्ष्य की तुलना में सहकारी बैंक एवं आरआरबी सहित बैंकों द्वारा ₹6,073.75 बिलियन[1] ऋण वितरित किए गए जो मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार लक्ष्य का 105.6 प्रतिशत था। सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के संबंध में सभी एजेंसियों के लिए ₹7,000 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम की वसूली

IV.7 गत तीन वर्षों (जून 2012 तक) का डेटा 2011-12 के दौरान प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली में मामूली गिरावट की ओर संकेत करता है (IV.2)।

सारणी IV.2: प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम की वसूली

(₹ बिलियन में)

जून को समाप्त वर्ष	मांग	वसूली	अतिदेय	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5
2010	1,244	922	322	74.09
2011*	1,822	1,383	439	75.90
2012**	1,918	1,429	489	74.51

* 2011 के आंकड़े संशोधन/अद्यतन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं।
** अनंतिम डेटा।

किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम

IV.8 *किसान* क्रेडिट कार्ड (केसीसी) स्कीम की समीक्षा करने के लिए गठित कार्य दल (अध्यक्ष: श्री टी.एम. भसीन) की संस्तुति के आधार पर सरकार ने सभी बैंकों को सभी किसानों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का कहा है। 2012-13 (दिसंबर 2012 तक) में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा केसीसी के रूप में 1.2 मिलियन स्मार्ट कार्ड जारी किए गए।

ब्याज अनुदान योजना

IV.9 2006-07 से चालू ब्याज अनुदान योजना वर्तमान में ₹3 लाख तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के लिए 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रदान करती है। वे किसान जो समय पर ऋण चुकाते हैं, उन्हें 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष हो जाएगी। 2012-13 तक केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों पर लागू इस योजना को वर्ष 2013-14 के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी लागू किया गया है।

कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008

IV.10 भारत सरकार ने कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 लागू की थी। योजना की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर एवं भारत सरकार के कहने पर बैंकों को संपूर्ण जांच करने और सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह दी गई थी।

[1] अनंतिम

सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों को ऋण का प्रवाह

IV.11 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र को प्रदान किए गए ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 में 29.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IV.3)।

IV.12 बीमार अवस्था वाली इकाई की पहचान करने और बीमारी की प्रारंभिक अवस्था का पता लगाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए तथा किसी इकाई को अव्यवहार्य घोषित करने से पहले बैंकों द्वारा अपनाई जाने योग्य प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए एमएसई क्षेत्र में बीमार अवस्था में पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु 1 नवंबर 2012 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।

IV.13 2013-14 की मौद्रिक नीति में की गई घोषणा के अनुसार, बैंकों को 9 मई 2013 को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा गया था:

- इस क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण की वृद्धि की निगरानी की वर्तमान प्रणाली को मजबूत किया जाए एवं प्रत्येक विनियामक स्तर (शाखा, क्षेत्र, मंडल, प्रधान कार्यालय) पर प्रणाली-संचालित व्यापक कार्यनिष्पादन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)शुरु की जाए जिसका नियमित आधार पर गंभीरता के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए;
- बैंकों में एमएसई के ऋण आवेदनों की ई-ट्रैकिंग की प्रणाली शुरु की जाए एवं शाखा-वार, क्षेत्र-वार, मंडल-वार एवं राज्य-वार स्थिति बताते हुए इस आवेदन के निपटान की प्रक्रिया की निगरानी की जाए। बैंकों द्वारा तत्संबंधी स्थिति अपनी वेबसाइट पर दर्शाई जानी चाहिए; एवं

सारणी IV.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान किया गया ऋण

मार्च माह के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	एमएसई क्षेत्र को बकाया ऋण		एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
	खातों की संख्या (मिलियन में)	बकाया राशि (₹ बिलियन में)	
1	2	3	4
2012	9.86	5,276.85	16.5
	(6.0)	(10.3)	
2013*	11.23	6,847.97	14.7
	(13.9)	(29.8)	

* : 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार।

टिप्पणी: 1. 2013 का डेटा अनंतिम है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन, प्रतिशत में दर्शाते हैं।

- बीमार एमएसई इकाइयों का पुनरुद्धार समय पर हो, इसकी जांच की जाए। बीमार एमएसई इकाइयों के पुनरुद्धार में हुई प्रगति के संबंध में जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए।

लीड बैंक स्कीम

2,000 से कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग केन्द्र स्थापित करने की रूपरेखा

IV.14 2,000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित सभी गांवों में बैंकिंग केन्द्र खोलने की रूपरेखा के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद, 2,000 से कम आबादी वाले बैंक रहित गांवों में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने का दूसरा चरण शुरु किया गया है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक परिवार/ व्यक्ति का बैंक खाता खुलवाना है। 2,000 से कम आबादी वाले लगभग 4,90,000 बैंक रहित गांवों को खोज लिया गया है एवं इन गांवों को समयबद्ध रूप से शामिल करने हेतु विभिन्न बैंकों को आबंटित कर दिया गया है। उम्मीद की जाती है कि गांवों को सम्मिलित करने की योजना आगामी तीन वर्षों में पूरी कर दी जाएगी।

IV.15 वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण सेवाएं नव आईसीटी आधारित बीसी केन्द्रों के जरिए उपलब्ध कराई जाए। इसलिए आधारभूत शाखाओं एवं बीसी स्थानों के बीच एक मध्यवर्ती निम्न-लागत वाले दरो-दीवार ढांचे की जरूरत है। यह बीसी केन्द्रों को समय पर सहयोग प्रदान करेगा, बीसी के परिचालन का ध्यानपूर्वक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा और इन्हें विश्वसनीयता प्रदान करेगा तथा बीसी सेवाओं के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाएगा। अत:, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैंक रहित गांवों में अधिक-से-अधिक शाखाएं खोलने की योजना बनाएं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

IV.16 रिज़र्व बैंक ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को शुरु करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)- संयोजक बैंक से कहा गया है कि वे आधार समर्थित भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए प्राधिकारियों से संपर्क करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे आधार समर्थित भुगतान के क्रियान्वयन की स्थिति को वित्तीय समावेशन/ इलेक्ट्रानिक सुविधा अंतरण (ईबीटी) के कार्यान्वयन के हिस्से के

रूप में एसएलबीसी की बैठकों में चर्चा हेतु कार्यसूची के मद में नियमित रूप से शामिल करें। डीबीटी को अपने प्रथम चरण में 1 जनवरी 2013 से 43 जिलों में लागू किया गया एवं 1 जुलाई 2013 से 78 जिलों में लागू किया जाएगा। धीरे-धीरे देश के सभी जिलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। हाल में लागू किया गया डीबीटी, जो आधार के जरिए हिताधिकारी की पहचान की पुष्टि करता है, लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करने, कम से कम रिसाव सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को उनके दरवाजे पर लाभ का समयबद्ध वितरण कराने के माध्यम से सामाजिक कल्याण लाभ के वितरण की सुविधा प्रदान करेगा। डीबीटी को सामाजिक बदलाव का एक साधन बनाना सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को चाहिए कि वे सावधानीपूर्वक योजना बनाएं और आधार कार्य तैयार करें। डीबीटी को लागू करने की पहली शर्त है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति का बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही आईसीटी आधारित बीसी मॉडल के जरिए लाभार्थियों के दरवाजे पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी गांवों में या तो दरो-दीवार शाखा या शाखाहीन विधि से बैंकिंग केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है।

IV.17 आधार आधारित डीबीटी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 28 जून 2013 को मैसूर में आयोजित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) संगोष्ठी के बाद बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि:

- सभी डीबीटी जिलों में खाता खोलने तथा आधार संख्या को इन खातों के साथ जोड़ने के लिए कदम उठाए जाएं।
- आधार संख्या को लाभार्थियों के बैंक खातों के साथ जोड़ने में हुई प्रगति की ध्यानपूर्वक निगरानी की जाए।
- आधार संख्या को बैंक खातों के साथ जोड़ने के संबंध में लाभार्थी के अनुरोध की पावती देने की प्रणाली बनाई जाए एवं आधार संख्या को जोड़े जाने की पुष्टि भी भेजी जाए।
- राज्य सरकार के संबंधित विभाग के साथ जिला स्तर पर डीबीटी कार्यान्वयन समन्वय समिति बनाई जाए और आधार संख्या को बैंक खातों के साथ जोड़े जाने की समीक्षा की जाए।
- जिला और गांव-वार कार्यरत बीसी के नाम एवं अन्य विवरण/ बैंक द्वारा की गई अन्य व्यवस्था, एसएलबीसी वेबसाइट पर दर्शाई जाए।
- आधार संख्या को बैंक खातों के साथ जोड़ने के संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक बैंक में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए तथा प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाए।

राज्य-स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) - वार्षिक ऋण योजना

IV.18 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों का संशोधन 2012 में किया गया और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली संबंधी टिप्पणी को मासिक तथा त्रैमासिक विवरणी हेतु दिसंबर 2012 से और वार्षिक विवरणी हेतु मार्च 2013 से प्रभावी बनाया गया। वार्षिक ऋण योजना को प्राथमिकता क्षेत्र के व्यापक वर्गीकरण के साथ मिलाने के लिए और चूंकि एसीपी संबंधी डेटा राज्यों एवं जिलों में ऋण के प्रवाह की समीक्षा करने की महत्त्वपूर्ण वस्तु है, एसीपी की विवरणियों में संशोधन किया गया है। वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों सहित उनके उप-क्षेत्रों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों, शिक्षा, आवास और अन्य एवं गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मझौले उद्योग, बड़े उद्योग, शिक्षा, आवास तथा अन्य को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। तदनुसार, एसीपी लक्ष्य की विवरणी एलबीएस-एमआईएस-I होगी, संवितरण एवं बकाया की विवरणी एलबीएस-एमआईएस-II होगी और एसीपी की उपलब्धि के साथ-साथ इसका लक्ष्य एलबीएस-एमआईएस-III होगा। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सभी डीसीसी एवं एसएलबीसी बैठकों में, ऊपर कहे गए अनुसार प्रगति की समीक्षा करें।

जिलों के लिए लीड बैंक का उत्तरदायित्व

IV.19 मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार देश के 644 जिलों में लीड बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया जबकि मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार 630 जिलों को लीड बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया था। छत्तीसगढ़ में बनाए गए नौ नए जिलों में लीड बैंक का उत्तरदायित्व भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सौंपा गया। भारतीय स्टेट बैंक को अरुणाचल प्रदेश के एक नए जिले का लीड बैंक उत्तरदायित्व सौंपा गया जबकि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को त्रिपुरा के चार नए जिलों का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

IV.20 वर्तमान में लीड बैंक योजना (एलबीएस) महानगरीय क्षेत्रों के जिलों के अलावा देश के सभी जिलों पर लागू है। 2013-14 के लिए घोषित मौद्रिक नीति में बताया गया है कि वित्तीय वंचन की चुनौती महनगरीय क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से फैली हुई है, खासकर सुविधाहीन एवं निम्न-आय समूहों में। शहरी गरीब के वंचित समूह

को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने तथा सरकार एवं बैंकों के बीच समन्वय हेतु संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए महानगरीय क्षेत्रों के सभी जिलों को एलबीएस के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, महानगरीय क्षेत्रों में 16 जिलों को लीड बैंक का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस प्रकार पूरे देश को लीड बैंक योजना के दायरे में लाया गया है तथा इस योजना के तहत कुल 659 जिलों को शामिल किया गया है।

डीसीसी/डीएलआरसी बैठकों की सूची

IV.21 जिला परामर्शी समिति (डीसीसी)/ जिला-स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठकों की समीक्षा में पाया गया कि सदस्यों को बैठक के संबंध में विलंब से सूचना प्राप्त होने/ सूचना न प्राप्त होने, अन्य कार्यक्रम का भी उसी समय पर होना इत्यादि कारणवश कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लीड बैंकों को जनवरी 2013 को सूचित किया गया कि वे एसएलबीसी, जो वर्ष की शुरुआत में अपनी त्रैमासिक बैठकों की सूची तैयार करती है, के नियमों के अनुसार बैठक के अध्यक्ष, लोक प्रतिनिधि (डीएलआरसी के मामले में) एवं रिज़र्व बैंक के लीड जिला अधिकारी के साथ परामर्श करके समरूप सूची तैयार करें।

ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

अल्पकालिक ऋण सहकारी ढांचा को सरल बनाना

IV.22 तीन-टाइर अल्पकालिक ऋण सहकारी ढांचा (एसटीसीसीएस) के पुन:पूंजीकरण के बाद 41 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी), जिन्हें मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार अत्यधिक वित्तीय घाटा सहना पड़ा, लाइसेंस संबंधी मानदंड को पूरा करने में असमर्थ रहे। ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए संरचनात्मक बाधाओं की जांच करने तथा ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचा को सशक्त करने हेतु अल्पकालिक ऋण सहकारी ढांचा (एसटीसीसीएस) की समीक्षा करने के लिए एक कार्य दल का प्रस्ताव रखा गया। तदनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा जुलाई 2012 (बॉक्स IV.1) में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई।

वित्तीय समावेशन

बैंकों की तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना

IV.23 जनवरी 2010 में, रिज़र्व बैंक द्वारा सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया कि वे बोर्ड-अनुमोदित अप्रैल 2010 से शुरु होने वाली तीन-वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) प्रस्तुत करें। उन्हें सूचित किया गया कि वे अपने बिजनेस की कार्यनीति और तुलनात्मक लाभ के अनुकूल एफआईपी बनाएं और इसे अपनी कॉरपोरेट योजना का अभिन्न अंग बनाएं। इन योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: खोली गईं ग्रामीण दरो-दीवार शाखाओं के लिए स्व-निर्धारित लक्ष्य; काम में लगाए गए बीसी; शाखाओं/बीसी/अन्य विधियों से 2,000 से अधिक एवं कम आबादी वाले बैंक रहित गांवों को शामिल करना; खोले गए नो-फ्रिल खाते, जिसमें बीसी-आईसीटी के जरिए खोले गए खाते भी शामिल हैं; जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) एवं

बॉक्स IV.1
अल्पकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी ढांचा (एसटीसीसीएस) के तीन-टाइर की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

2012-13 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, ऋण की लागत कम करने एवं विभिन्न विकल्पों की जांच करने के साथ ही वर्तमान तीन-टाइर संरचना के बदले में दो-टाइर एसटीसीसीएस की स्थापना को व्यवहार्य बनाने के लिए अल्पकालिक ग्रामीण ऋण सहकारी ढांचा (एसटीसीसीएस) की समीक्षा करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. प्रकाश बक्शी) गठित की गई थी। समिति ने 15 जनवरी 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार है:

i) एसटीसीसीएस द्वारा, जिसका गठन प्रमुख रूप से कृषि ऋण का प्रावधान करने के लिए किया गया था, अनिवार्य रूप से कृषि ऋण का कम-से-कम 15 प्रतिशत अपने परिचालन क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए, जिसे बाद में धीरे-धीरे बढ़ाते हुए 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा। केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) को अपने ऋण पोर्टफोलिया का कम-से-कम 70 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में निवेश करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक लगातार खराब प्रदर्शन करता है और कृषि ऋण का 15 प्रतिशत से कम परिचालन क्षेत्र में निवेश करता है, तो उस बैंक को शहरी सहकारी बैंक के रूप में घोषित कर दिया जाएगा तथा मान लिया जाएगा।

ii) चूंकि पीएसीएस के सदस्यों की जमाराशियों को डीआईसीजीसी में शामिल नहीं किया गया है और यह बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा भी नहीं है इसलिए पीएसीएस, एटीएम एवं पीओएस मशीनों में ट्रैंजैक्शन/ काम करने योग्य किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने की स्थिति में नहीं है, अत: सीसीबी को पीएसीएस को अपने बिजनेस कॉरेसपांडेंट (बीसी) के रूप में उपयोग करते हुए इन सेवाओं को सीधे प्रदान करना चाहिए। इसलिए, पीएसीएस के सभी जमाकर्ता एवं उधारकर्ता सीसीबी के सामान्य शेयरधारक सदस्य बन जाएंगे जिसमें सभी ठसक्रियड सदस्यों को मताधिकार होगा।

(जारी....)

iii) केंद्रीय सहकारी बैंक अपनी सीआरआर एवं एसएलआर आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए अपनी जमाराशियों को राज्य सहकारी बैंकों के पास मीयादी जमाओं के रूप में रखते हैं। तथापि, राज्य सहकारी बैंक द्वारा उसी केंद्रीय सहकारी बैंक को बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान किया जाता है और साथ ही ऋणों में निवेश किया जाता है जो आम तौर पर बड़ी अनर्जक आस्ति (एनपीए) बन जाती है। इसलिए, इन निवेशों को सुरक्षित रखने के उपाय किए जाने चाहिएं। संभाव्य उपाय के तौर पर राज्य सहकारी बैंक एवं सीसीबी को खाद्य सहायता संघ ऋण का एक बड़ा हिस्सा दिया जाना चाहिए।

iv) देश के 370 केंद्रीय सहकारी बैंकों में से, 238 का सीआरएआर पहले से ही 7 प्रतिशत या उससे अधिक है और उनमें से दो तिहाई केंद्रीय सहकारी बैंक अतिरिक्त पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने एवं 2014-15 तक कम-से-कम 7 प्रतिशत और 2016-17 तक 9 प्रतिशत का सीआरएआर बरकरार रखने में सक्षम हैं। 209 केंद्रीय सहकारी बैंकों को 2016-17 तक 9 प्रतिशत का सीआरएआर हासिल करने के लिए लगभग रु. 6500 करोड़ जुटाने होंगे। समिति ने बढ़ी हुई सीआरएआर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूंजी निर्माण हेतु विभिन्न विकल्पों का सुझाव दिया है।

v) कतिपय राज्य सहकारी बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के पास 4 प्रतिशत सीआरएआर के लाइसेंस संबंधी रियायती मानदंड को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त पूंजी नहीं है। 4 प्रतिशत सीआरएआर हासिल करने के लिए या तो आंतरिक रूप से या किसी दूसरे बाह्य स्रोत के जरिए अपेक्षित पूंजी जुटाने के लिए इन बैंकों के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2013 निर्धारित की गई है और ऐसा न किए जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनिवार्य विनियामक कार्रवाई की जाएगी।

vi) लगभग 58 बैंक अपेक्षित पूंजी आम तौर पर नहीं जुटा पाएंगे या उनके बिजनेस का आकार इतना छोटा है कि वे लंबे समय में टिक नहीं पाएंगे और उन्हें अन्य केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ समेकित कर दिया जाएगा। प्रत्येक राज्य में एक कार्यदल का गठन, संबंधित हितधारकों के साथ वार्तालाप कर संभाव्य समेकन पर कार्य करने एवं कार्य योजना बनाने के लिए, किया जाएगा।

vii) अधिकांश केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों को अपनी आंतरिक प्रणाली, मानव संसाधन एवं प्रौद्योगिकी अभिग्रहण को बेहतर करने के लिए ठोस कदम भी उठाने होंगे। समिति ने राज्य सहकारी बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के गवर्नेन्स एवं प्रबंधन में सुधार करने के लिए वैद्यनाथन लक्ष्य बल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विभिन्न उपायों का सुझाव भी दिया है।

viii) रिज़र्व बैंक अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र को शामिल करने के लिए किसी भी केंद्रीय सहकारी बैंक के बैंकिंग लाइसेंस में संशोधन करेगा जिससे पीएसीएस केंद्रीय सहकारी बैंकों के बीसी के रूप में काम कर सकेगा।

ix) सभी राज्य सहकारी बैंकों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए सीबीएस को पूर्ण रूप से लागू करने एवं आरटीजीएस, एनईएफटी, एटीएम तथा पीओएस डिवाइज आधारित सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख 30 सितंबर 2013 होगी।

x) राज्य सहकारी बैंकों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों को पूर्ण रूप से वित्तीय समावेशन एवं ईबीटी अभियान में शामिल किया जाएगा। सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों की जमाराशि के 7 प्रतिशत का सीआरएआर लक्ष्य हासिल करने वाले एवं सीबीएस पर काम करने वाले राज्य सहकारी बैंकों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों में निवेश भी किया जा सकता है।

xi) केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों को बैंकिंग लोकपाल या रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड के साथ मिलकर विकसित की गई समरूप प्रणाली के दायरे में लाया जाएगा।

xii) राज्य सहकारी बैंकों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों का सीबीएस एवं अन्य आईसीटी प्लेटफार्म में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, मानव संसाधन संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में संस्तुति देने के लिए एक कार्यदल बनाया जाएगा।

जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी); तथा वित्तीय रूप से वंचित समूहों के लिए अन्य उत्पाद। बैंकों को कहा गया है कि वे बोर्ड-अनुमोदित एफआईपी को अपनी बिजनेस संबंधी योजनाओं में सम्मिलित करें एवं अपने स्टॉफ के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय समावेशन के मानदंड को पैरामीटर के रूप में शामिल करें। रिज़र्व बैंक द्वारा मासिक आधार पर मात्रात्मक रिपोर्टिंग फार्मेट के जरिए इन योजनाओं के कार्यनिष्पादन की ध्यानपूर्वक निगरानी की गई थी। एफआईपी के गुणात्मक पहलू की निगरानी बैंकों द्वारा प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत की गई गुणात्मक रिपोर्ट के जरिए की गई। हाल में रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन हेतु खोले जाने वाले बुनियादी बचत बैंक जमा खातों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं (बॉक्स IV.2)।

IV.24 बैंकों द्वारा तीन-वर्षीय एफआईपी (अप्रैल 2010 से मार्च 2013) के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण पैरामीटरों के संबंध में की गई प्रगति की झांकी नीचे दी गई है:

i) गांवों में बैंकिंग केंद्रों की संख्या मार्च 2010 के 67,694 केंद्रों से बढ़कर लगभग 2,68,000 हो गई।

ii) 3 वर्ष की इस अवधि में लगभग 7400 ग्रामीण शाखाएं खोली गईं जबकि पिछले दो दशकों में लगभग 1300 ग्रामीण शाखाएं कम खोली गईं।

iii) लगभग 109 मिलियन बुनियादी बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) और खोले गए जिससे बीएसबीडीए की कुल संख्या बढ़कर 182 मिलियन हो गई। आईसीटी आधारित खातों के हिस्से में काफी वृद्धि हुई। कुल बीएसबीडीए की तुलना में आईसीटी खातों का प्रतिशत मार्च 10 के 25 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 13 में 45 प्रतिशत हो गया।

iv) इस अवधि में लगभग 9.48 मिलियन कृषि क्षेत्र परिवारों के जुड़ जाने से मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार 33.8 मिलियन परिवारों को लघु उद्यमी ऋण प्रदान किया गया।

बॉक्स IV.2
वित्तीय समावेशन के लिए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता संबंधी दिशानिर्देश

बैंकों को अपने सभी ग्राहकों को बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) जारी करने का निदेश दिया गया है जिसके जरिए निम्नलिखित निम्नतम आम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी:

i) यह खाता सभी को सामान्य बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराएगा।

ii) इस खाते में कोई निम्नतम शेष रखने की जरूरत नहीं होगी।

iii) इस खाते के साथ एटीएम कार्ड या एटीएम-सह-डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा।

iv) इस खाते के जरिए बैंक की शाखाओं के साथ-साथ एटीएम में रुपया जमा करने एवं निकालने; इलेक्ट्रानिक भुगतान चैनल या केंद्र/राज्य सरकार के एजेंसियों एवं विभागों द्वारा आहरित चेक को जमा/संग्रह करने के माध्यम से धन प्राप्त करने/जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी एवं;

v) महीने में खाते में जमा करने की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं होगी लेकिन खाता धारकों को महीने में एटीएम के साथ-साथ शाखा से अधिकतम चार बार आहरण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त सुविधाएं बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही निष्क्रिय बीएसबीडीए के गैर-परिचालन/ सक्रियन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

बैंक, निर्धारित बुनियादी निम्नतम सेवा से परे अतिरिक्त मूल्य-वर्धित सेवाओं की कीमत निर्धारित करने का ढांचा सहित अन्य आवश्यकताओं को किफायती एवं पारदर्शी आधार पर विकसित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसे बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाना चाहिए।

बीएसबीडीए, रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक खाता खोलने के संबंध में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन-शोधन निवारण (एएमएल) विषय में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगा। यदि खाता सरल केवाईसी मानदंडों के आधार पर खोला गया है तो उसे 'लघु खाता' के रूप में मान लिया जाएगा और वह इस प्रकार के खातों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

यदि किसी ग्राहक का बैंक में कोई अन्य बचत बैंक जमा खाता है तो उसे इस खाते को बीएसबीडीए खोलने की तारीख से 30 दिन के अंदर बंद करना होगा।

वर्तमान 'नो-फ्रिल' खाते को बीएसबीडीए में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

v) इस अवधि में लगभग 2.24 मिलियन गैर-कृषि क्षेत्र परिवारों के जुड़ जाने से मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार 3.6 मिलियन परिवारों को लघु उद्यमी ऋण प्रदान किया गया।

IV.25 तीन वर्ष की अवधि में बीसी के जरिए आईसीटी आधारित खातों में 490 मिलियन से अधिक अंतरण किए गए। आईसीटी आधारित बीसी केंद्रों के जरिए किए जा रहे अंतरणों की संख्या भले ही बढ़ रही है लेकिन इनकी संख्या अभी भी कम है, जबकि बैंकिंग केंद्रों और खातों की संख्याओं में बहुगुना वृद्धि हुई है। इन खातों के उपयोग की निगरानी पर अब और अधिक ध्यान है, जिसमें बीएसबीडीए की संख्या एवं अंतरण की राशि और साथ ही आईसीटी आधारित बीसी केंद्रों के जरिए संवितरित ऋण की निगरानी की जा रही है।

वित्तीय समावेशन योजना 2013-16

IV.26 बैंकों की 2010-2013 अवधि की प्रथम तीन-वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना समाप्त हो चुकी है (सारणी IV.4)। यद्यपि बैंकिंग सेवाओं को फैलाने एवं बुनियादी बैंक खाते खोलने में पर्याप्त प्रगति हुई है लेकिन आईसीटी आधारित बीसी केंद्रों के जरिए किए गए अंतरणों की संख्या अभी भी बहुत कम है। वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं का एक्सेस सुनिश्चित कराने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए बैंकों को कहा गया है कि वे 2013-16 की अवधि हेतु तीन-वर्षीय एफआईपी बनाएं। बैंकों को अब कहा गया है कि वे अपनी एफआईपी का विसमूहन शाखा स्तर पर करें। वित्तीय समावेशन के प्रयासों में सभी हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का विसमूहन किया जा रहा है।

उच्च-स्तरीय वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति

IV.27 वित्तीय समावेशन एजेंडा की उच्च प्राथमिकता को देखते हुए सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन की ओर बढ़ना रिज़र्व बैंक की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ-साथ नीतिगत प्राथमिकता रही है। बृहद वित्तीय समावेशन के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने उप गवर्नर की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) का गठन किया। एफआईएसी के सदस्यों में रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के कतिपय निदेशक, एनजीओ से लिए गए विशेषज्ञ एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। सदस्यों की विद्वता एवं अनुभव का लाभ: व्यवहार्य एवं सुस्थिर बैंकिंग सेवा वितरण मॉडल विकसित करने, जो सुग्राह्य एवं किफायती दर पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराए; अभी तक बैंकिंग नेटवर्क से न जुड़े ग्रामीण एवं शहरी ग्राहकों के लिए उत्पाद एवं प्रक्रियाओं का निर्माण करने;

सारणी IV.4: वित्तीय समावेशन योजना - आरआरबी सहित सभी बैंकों की प्रगति का सार

(31 मार्च 2013 को स्थिति)

विवरण	मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 2011 को समाप्त वष	मार्च 2012 को समाप्त वष	मार्च 2013 को समाप्त वष	अप्रैल 2010-मार्च 2013 के दौरान प्रगति
1	2	3	4	5	6
गांवों में बैंकिंग केन्द्र - शाखाएं	33,378	34,811	37,471	40,837	7,459
गांवों में बैंकिंग केन्द्र - बीसी	34,174	80,802	1,41,136	2,21,341	1,87,167
गांवों में बैंकिंग केन्द्र - अन्य विधि	142	595	3,146	6,276	6,134
गांवों में बैंकिंग केन्द्र - कुल	67,694	1,16,208	1,81,753	2,68,454	2,00,760
बीसी के जरिए कवर किए गए शहरी इलाके	447	3,771	5,891	27,143	26,696
शाखाओं के जरिए खोले गए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	60.19	73.13	81.20	100.80	40.61
शाखाओं के जरिए खोले गए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (राशि ₹ बिलियन में)	44.33	57.89	109.87	164.69	120.36
बीसी के जरिए खोले गए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (संख्या मिलियन में)	13.27	31.63	57.30	81.27	68.00
बीसी के जरिए खोले गए बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (राशि ₹ बिलियन में)	10.69	18.23	10.54	18.22	7.53
कुल बीएसबीडीए (मिलियन में)	73.45	104.76	138.50	182.06	108.61
कुल बीएसबीडीए (राशि ₹ बिलियन में)	55.02	76.12	120.41	182.92	127.90
बुनियादी बचत बैंक जमा खातों में ली गई ओडी सुविधा (संख्या मिलियन में)	0.18	0.61	2.71	3.95	3.77
बुनियादी बचत बैंक जमा खातों में ली गई ओडी सुविधा (राशि ₹ बिलियन में)	0.10	0.26	1.08	1.55	1.45
केसीसी - (संख्या मिलियन में)	24.31	27.11	30.24	33.79	9.48
केसीसी - (राशि ₹ बिलियन में)	1,240.07	1,600.05	2,068.39	2,622.98	1,382.91
जीसीसी - (संख्या मिलियन में)	1.39	1.70	2.11	3.63	2.24
जीसीसी - (राशि ₹ बिलियन में)	35.11	35.07	41.84	76.34	41.23
आईसीटी खाता - बीसी - अंतरण - संख्या मिलियन में	26.52	84.16	155.87	250.46	490.49
आईसीटी खाता - बीसी - अंतरण - राशि ₹ बिलियन में	6.92	58.00	97.09	233.88	388.97

एवं वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता का साथ-साथ चलना सुनिश्चित करने हेतु समुचित विनियामक ढांचा तैयार करने में, उठाया जाएगा।

वित्तीय साक्षरता की गतिविधियां

वित्तीय साक्षरता की पहल

IV.28 वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय सामर्थ्य का निर्माण करना वित्तीय समावेशन का महत्त्वपूर्ण घटक है। इसका मतलब है कि ऐसी वित्तीय शिक्षा दी जाए जिसकी बदौलत व्यक्ति अपनी आस्ति का निर्माण एवं उसे कई सालों तक सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त वित्तीय उत्पाद एवं सेवाओं की पहचान और उसका उपयोग कर सके। इसे लोगों की जानकारी, ज्ञान को बेहतर करना चाहिए और उनमें अधिक विश्वास लाना चाहिए तथा उन्हें उनके वित्तीय मामलों के संबंध में अत्यधिक जिम्मेदारी लेने योग्य बनाना चाहिए एवं वित्तीय सेवा हेतु बाजार में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाने योग्य बनाना चाहिए।

वित्तीय साक्षरता केंद्र

IV.29 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) खोलने संबंधी दिशानिर्देशों में 6 जून 2012 को किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप मार्च 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार 718 एफएलसी खोले गए हैं। हमारे केंद्र पर आए लोगों को आंतरिक शिक्षा देने एवं जगरुकता शिविर/चौपाल, गोष्ठियों, संगोष्ठियों एवं लेक्चर जैसे बाहरी क्रियाकलापों के माध्यम से अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की एक वर्ष की अवधि में कुल मिलाकर 2.2 मिलियन लोगों को शिक्षित किया गया।

IV.30 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय समावेशन हेतु योजनाबद्ध, संरचित एवं समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है। रिज़र्व बैंक द्वारा सभी एफएलसी एवं अधिसूचित वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को प्रत्येक माह कम-से-कम एक बाह्य वित्तीय समावेशन शिविर लगाने को कहा गया है। वित्तीय रूप से वंचित समूह को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ने के लिए रिज़र्व बैंक ने साक्षरता शिविर

लगाने हेतु एक मॉडल आर्किटेक्चर तैयार किया है जिसमें परिचालन संबंधी तौर-तरीका शामिल है जिसके परिणामस्वरूप वंचित लोगों को प्रभावशाली वित्तीय एक्सेस का लाभ होता है। इन शिविरों के दौरान लक्ष्य दर्शकों तक संदेश को पहुँचाने में स्थिरता लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने व्यापक वित्तीय साक्षरता सामग्री तैयार की है जिसमें वित्तीय साक्षरता गाइड[2], वित्तीय दैनिकी[3] एवं 16 भिन्न पोस्टर[4] शामिल हैं।

वित्तीय शिक्षा की राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई)

IV.31 एफएसडीसी के तकनीकी समूह के तत्त्वावधान में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई) बनाई गई। रणनीति में वित्तीय सेवाओं के एक्सेस के संबंध में जगरुकता बढ़ाने एवं लोगों को शिक्षित करने के तरीकों; विभिन्न प्रकार के उत्पादों एवं उनकी सुविधाओं की उपलब्धता; नज़रिए को बदलना जिससे ज्ञान जिम्मेदारी भरे वित्तीय व्यवहार में परिणत हो सके; और वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर रहे ग्राहकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी कराने का उल्लेख किया गया है।

IV.32 एनएसएफई को पांच वर्ष की समयावधि के अंदर कार्यान्वित कर दिया जाएगा और इसका उद्देश्य पहले 500 मिलियन वयस्कों के साथ संपर्क स्थापित करने के साथ-साथ उन्हें प्रमुख बचतों, सुरक्षा तथा निवेश आधारित उत्पादों के बारे में जानकारी देना होगा ताकि वे विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बन सकें। यह देश में उपलब्ध ग्राहक रक्षा एवं शिकायत निवारण व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। इन उपायों को एनजीओ और सिविल सोसाइटी सहित विभिन्न हितधारकों के जरिए जन संपर्क के उपलब्ध सभी चैनलों का उपयोग करते हुए लागू किया जाएगा। एनएसएफई में वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने के पहले कदम के रूप में देश में वित्तीय शिक्षा की जरूरत को लेकर समग्र आकलन उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय शिक्षा के विषय में राष्ट्रीय सर्वेक्षण करने की परिकल्पना की गई है।

IV.33 एनएसएफई के तहत वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों के प्रयासों को समन्वित करने हेतु संस्थागत प्रणाली के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। एनसीएफई द्वारा वित्तीय शिक्षा के संबंध में देश के लिए एक आम वेबसाइट लागू किया जाएगा।

IV.34 कुल मिलाकर वित्तीय समावेशन एजेंडा को गति प्रदान करने के लिए अत्यधिक प्रयास किए जा रहे हैं और अनेक उपाय किए गए हैं। तथापि सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन का काम बहुत बड़ा है। इस दिशा में प्रयासों को तीव्र करने की जरूरत है। साथ ही बैंकों को वंचित आबादी की मांग को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्य वित्तीय समावेशन उत्पाद का वितरण करने में अधिक गहन दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत है। बैंकिंग प्रणाली के लिए वृद्धि के लिए वित्त उपलब्ध कराना मात्र पर्याप्त नहीं है। वे बहुसंख्यक लोग जो ऋण बाजार के दायरे के बाहर हैं उन्हें वित्त का एक्सेस कराना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय एक्सेस को बेहतर करने के अपने प्रयास को मजबूत किया है, विशेषकर लघु कारोबार एवं परिवार के व्यक्ति विशेष हेतु ।

[2] वित्तीय साक्षरता गाइड में धन प्रबंधन, बचत के महत्त्व, बैंकों में बचत राशि जमा करने का लाभ, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं एवं बैंकों से ऋण लेने के लाभ के बारे में मूलभूत धारणाओं की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। यह गाइड वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन में शामिल प्रशिक्षकों के लिए सुलभ संदर्भ मानी जा सकती है।

[3] वित्तीय दैनिकी को इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है कि लक्षित समूह अपनी आय एवं खर्च का अभिलेख रख सके जिससे वे अपने खर्च के संबंध में वित्तीय योजना और समझ को बेहतर कर सकेंगे।

[4] 16 भिन्न पोस्टरों में धन प्रबंधन, बचत, ऋण एवं आधारभूत बैंकिंग उत्पाद संबंधी संदेश पहुँचाने हेतु शिविरों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने के लिए सरल, आकर्षक नारा एवं दृष्य दिया गया है।